मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 57

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		22191.00	951.22	23142.22	22191.00	1000.35	23191.35	26800.00	1050.00	27850.00
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**22191.00**	**951.22**	**23142.22**	**22191.00**	**1000.35**	**23191.35**	**26800.00**	**1050.00**	**27850.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	3.30	3.30
सामान्य शिक्षा										
प्राथमिक शिक्षा										
2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	2202	1.00	...	1.00	0.35	...	0.35	1.30	...	1.30
	2251	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	...	...	...
	3601	428.70	...	428.70	260.00	...	260.00	428.70	...	428.70
	3602	20.00	...	20.00	6.00	...	6.00	20.00	...	20.00
	जोड़	*450.00*	...	*450.00*	*266.65*	...	*266.65*	*450.00*	...	*450.00*
3. महिला समाख्या	2202	33.85	...	33.85	33.85	...	33.85	38.00	...	38.00
	2251	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	...	...	...
	जोड़	*34.00*	...	*34.00*	*34.00*	...	*34.00*	*38.00*	...	*38.00*
4. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	6.30	3.00	9.30	8.00	5.70	13.70	6.30	3.20	9.50
5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)	2202	77.91	...	77.91	97.91	...	97.91	50.00	...	50.00
	2251	2.09	...	2.09	2.09	...	2.09	...	...	...
	जोड़	*80.00*	...	*80.00*	*100.00*	...	*100.00*	*50.00*	...	*50.00*
6. स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	579.30	...	579.30	579.14	...	579.14	1424.00	...	1424.00
	2251	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	...	...	...
	3601	2556.30	...	2556.30	2579.27	...	2579.27	574.00	...	574.00
	3602	45.50	...	45.50	22.69	...	22.69	75.00	...	75.00
	जोड़	3191.60	...	3191.60	3191.60	...	3191.60	2073.00	...	2073.00
7. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	2202	2767.24	...	2767.24	3704.64	...	3704.64	4249.98	...	4249.98
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	2767.26	...	2767.26	3704.66	...	3704.66	4250.00	...	4250.00
8. प्रांरभिक शिक्षा कोष को अंतरण	2202	10393.00	...	10393.00	11128.00	...	11128.00	12817.00	...	12817.00
9. प्राथमिक शिक्षा कोष से वित्तपोषित स्कीम										
9.1 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	1307.30	...	1307.30	730.32	...	730.32	...	...	...
	3601	2092.70	...	2092.70	2082.08	...	2082.08	5127.00	...	5127.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	3400.00	...	3400.00	2812.40	...	2812.40	5127.00	...	5127.00
9.2 सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	2202	6993.00	...	6993.00	8315.60	...	8315.60	7690.00	...	7690.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	6993.00	...	6993.00	8315.60	...	8315.60	7690.00	...	7690.00
प्रांरभिक शिक्षा कोष से ली गई राशि (पीएसके)	2202	-8300.30	...	-8300.30	-9045.92	...	-9045.92	-7690.00	...	-7690.00
	3601	-2092.70	...	-2092.70	-2082.08	...	-2082.08	-5127.00	...	-5127.00
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	-10393.00	...	-10393.00	-11128.00	...	-11128.00	-12817.00	...	-12817.00
10. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद	2202	9.00	...	9.00	1.00	...	1.00	...	...	...
11. सरकारी स्थानीय निकाय के स्कूलों में नर्सरी पूर्व एक वर्ष की सहायता	2202	...	...	...	...	...	...	89.98	...	89.98
	3601	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	...	...	...	...	...	...	90.00	...	90.00
जोड़ प्रांरभिक शिक्षा		*16931.16*	*3.00*	*16934.16*	*18433.91*	*5.70*	*18439.61*	*19774.30*	*3.20*	*19777.50*
माध्यमिक शिक्षा										
12. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद*	2202	36.00	61.95	97.95	26.10	61.95	88.05	36.00	65.05	101.05
13. केंद्रीय विद्यालय संगठन*	2202	270.00	692.30	962.30	270.00	714.00	984.00	270.00	749.00	1019.00
14. नवोदय विद्यालय समिति*	2202	639.00	173.40	812.40	774.00	194.80	968.80	630.00	204.25	834.25
15. विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी*	2202	31.00	...	31.00	8.00	...	8.00	22.00	...	22.00
	3601	190.80	...	190.80	213.80	...	213.80	244.00	...	244.00
	3602	2.80	...	2.80	2.80	...	2.80	4.00	...	4.00
	जोड़	*224.60*	...	*224.60*	*224.60*	...	*224.60*	*270.00*	...	*270.00*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
16. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा*	2202	4.00	...	4.00	2.50	...	2.50	1.50	...	1.50
	3601	100.00	...	100.00	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00
	3602	4.00	...	4.00	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	जोड़	*108.00*	...	*108.00*	*54.00*	...	*54.00*	*63.00*	...	*63.00*
17. राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान*	2202	6.00	...	6.00	6.00	...	6.00	15.00	...	15.00
18. सुलभता और समानता*	2202	9.00	...	9.00	0.90	...	0.90	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*9.00*	...	*9.00*	*0.90*	...	*0.90*	...	...	...
19. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन*	2202	6.00	16.35	22.35	6.00	19.43	25.43	6.00	20.40	26.40
20. शिक्षा का व्यावसायीकरण	2202	3.20	...	3.20	1.00	...	1.00	6.00	...	6.00
	3601	14.00	...	14.00	...	...	...	25.80	...	25.80
	3602	0.80	...	0.80	...	...	...	1.50	...	1.50
	जोड़	*18.00*	...	*18.00*	*1.00*	...	*1.00*	*33.30*	...	*33.30*
21. माध्यमिक स्तर पर सर्वसुलभ पहुँच और गुणवत्ता की योजना (सक्सेस)	2202	2.50	...	2.50	0.15	...	0.15	4.00	...	4.00
	3601	1149.10	...	1149.10	...	...	...	1927.50	...	1927.50
	3602	22.00	...	22.00	...	...	...	35.00	...	35.00
	जोड़	1173.60	...	1173.60	0.15	...	0.15	1966.50	...	1966.50
22. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम (एक्सेस)	2202	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00
	3601	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85	42.50	...	42.50
	3602	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	1.50	...	1.50
	जोड़	0.90	...	0.90	0.90	...	0.90	45.00	...	45.00
23. विशेष नवोदय विद्यालय	2202	247.48	...	247.48	0.13	...	0.13	...	...	...
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़	247.50	...	247.50	0.15	...	0.15	...	...	...
24. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना	2202	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	108.00	...	108.00
	3601	106.00	...	106.00	106.00	...	106.00	...	...	...
	3602	0.80	...	0.80	0.80	...	0.80	...	...	...
	जोड़	108.00	...	108.00	108.00	...	108.00	108.00	...	108.00
25. नए आदर्श विद्यालय	2202	...	...	...	...	...	...	582.78	...	582.78
	3601	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	...	...	...	...	...	...	582.80	...	582.80
26. 2000 केजीबीवी का उन्नयन आवासीय विद्यालय, छात्रवास/ बालिका छात्रवास	2202	...	...	...	...	...	...	71.98	...	71.98
	3601	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	...	...	...	...	...	...	72.00	...	72.00
27. IX से XII कक्षाओं में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	6202	...	...	...	750.00	...	750.00	...	...	...
घटाइए-सामाजिक अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	6202	...	...	...	-750.00	...	-750.00	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28. अन्य कार्यक्रम*	2202	1.00	2.00	3.00	1.00	2.20	3.20	1.00	2.40	3.40
जोड़-माध्यमिक शिक्षा		*2847.60*	*946.00*	*3793.60*	*1472.80*	*992.38*	*2465.18*	*4098.60*	*1041.10*	*5139.70*
प्रौढ़ शिक्षा										
29. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना	2202	289.80	...	289.80	146.80	...	146.80	317.10	...	317.10
30. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता	2202	65.70	...	65.70	65.70	...	65.70	63.00	...	63.00
31. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2202	...	1.78	1.78	8.00	1.81	9.81	10.80	1.92	12.72
32. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2202	4.64	0.07	4.71	4.64	0.07	4.71	...	0.07	0.07
	2251	0.76	...	0.76	0.76	...	0.76	...	...	...
	जोड़	*5.40*	*0.07*	*5.47*	*5.40*	*0.07*	*5.47*	...	*0.07*	*0.07*
33. 35 वर्ष और अधिक आयु समुह के लिए साक्षरता कार्यक्रम	2202	...	...	...	...	...	...	14.98	...	14.98
	3601	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
	जोड़	...	...	...	...	...	...	15.00	...	15.00
34. अन्य कार्यक्रम	2202	...	0.37	0.37	...	0.39	0.39	...	0.41	0.41
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		*360.90*	*2.22*	*363.12*	*225.90*	*2.27*	*228.17*	*405.90*	*2.40*	*408.30*

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2007-2008 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
35. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान										
प्राथमिक शिक्षा										
35.1 अध्यापक शिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	2552	50.00	...	50.00	45.35	...	45.35	50.00	...	50.00
35.2 राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2552	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70	0.70	...	0.70
35.3 स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2552	732.40	...	732.40	674.00	...	674.00	800.00	...	800.00
35.4 सर्वशिक्षा अभियान	2552	910.74	...	910.74	1150.74	...	1150.74	1160.00	...	1160.00
35.5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद	2552	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
35.6 स्थानीय निकाय के स्कूलों में एक वर्ष नर्सरी सहायता	2552	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़-प्राथमिक शिक्षा		*1694.84*	...	*1694.84*	*1870.79*	...	*1870.79*	*2020.70*	...	*2020.70*
माध्यमिक शिक्षा										
35.7 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	2552	4.00	...	4.00	2.90	...	2.90	4.00	...	4.00
35.8 केंद्रीय विद्यालय संगठन	2552	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
35.9 नवोदय विद्यालय समिति	2552	71.00	...	71.00	86.00	...	86.00	70.00	...	70.00
35.10 विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	2552	25.40	...	25.40	25.40	...	25.40	30.00	...	30.00
35.11 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा	2552	12.00	...	12.00	6.00	...	6.00	7.00	...	7.00
35.12 सुलभता और समानता	2552	1.00	...	1.00	0.10	...	0.10	...	...	...
35.13 शिक्षा का व्यावसायीकरण	2552	2.00	...	2.00	...	...	...	3.70	...	3.70
35.14 माध्यमिक स्तर पर सर्वसुलभ पहुँच और गुणवत्ता की योजना (सक्सेस)	2552	131.40	...	131.40	...	...	...	218.50	...	218.50
35.15 माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीम	2552	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	5.00	...	5.00
35.16 विशेष नवोदय विद्यालय	2552	27.50	...	27.50	...	...	...	...	...	...
35.17 राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना	2552	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00
35.18 नए आदर्श विद्यालय	2552	...	...	...	...	...	...	67.20	...	67.20
35.19 2000 केजीबीवी का उन्नयन (आवासीय विद्यालय, छात्रवास/बालिका छात्रवास)	2552	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
जोड़-शिक्षा		*316.40*	...	*316.40*	*162.50*	...	*162.50*	*455.40*	...	*455.40*
प्रौढ़ शिक्षा										
35.20 प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना	2552	32.20	...	32.20	17.20	...	17.20	36.90	...	36.90
35.21 प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता	2552	7.30	...	7.30	7.30	...	7.30	7.00	...	7.00
35.22 प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	2552	...	...	...	...	...	...	1.20	...	1.20
35.23 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2552	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	...	...	...
35.24 35 वर्ष और अधिक आयु वर्ग के लिए साक्षरता कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-प्रौढ़ शिक्षा		*40.10*	...	*40.10*	*25.10*	...	*25.10*	*45.10*	...	*45.10*
जोड़-पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रावधान		*2051.34*	...	*2051.34*	*2058.39*	...	*2058.39*	*2521.20*	...	*2521.20*
कुल जोड़		***22191.00***	***951.22***	***23142.22***	***22191.00***	***1000.35***	***23191.35***	***26800.00***	***1050.00***	***27850.00***

ग. आयोजना परिव्यय।	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	*जोड़*
केन्द्रीय योजना										
1. सामान्य शिक्षा	22202	20139.66	...	20139.66	20132.61	...	20132.61	24278.80	...	24278.80
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2051.34	...	2051.34	2058.39	...	2058.39	2521.20	...	2521.20
जोड़-केन्द्रीय योजना		**22191.00**	**...**	**22191.00**	**22191.00**	**...**	**22191.00**	**26800.00**	**...**	**26800.00**

1. सचिवालयः इसमें सचिवालाय व्यय हेतु व्यवस्था है।

2. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण :प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के सेवाकालीन और सेवापूर्व प्रशिक्षण के लिये और प्रारंभिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिये अकादमिक संसाधन सहायता का प्रावधान करने के लिये ठोस सांस्थानिक बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिये 1987 में शिक्षक शिक्षा के पुनर्गठन तथा पुनर्संरचना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गयी थी। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित घटकों जिनके लिये केन्द्र सरकार राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है, की व्यवस्था की गयी थी :-

(i) प्रारंभिक शिक्षकों के लिये जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना;

(ii) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को शिक्षक शिक्षा कॉलेजों और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों में स्तरोन्नत करना;

(iii) राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषदों को सुदृढ़ करना।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सिविल कार्यों, उपस्करों की खरीद, वेतन और भत्तों, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों इत्यादि के लिये केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस स्कीम का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा इस मूल्यांकन के पूरा होने तक स्कीम को इसके मौजूदा मानदंडों तथा पैरामीटरों में कोई भी परिवर्तन किए बिना जारी रखा जाएगा। अब तक 571 डाईट, 104 सी.टी.ई. तथा 31 आई.ए.एस.ई. संस्वीकृत किए गए हैं।

3. महिला समाख्या कार्यक्रम : महिला समाख्या स्कीम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति,1986 में निहित उद्देश्यों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों की महिलाओं की शिक्षा और अधिकारिता के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए लागू किया गया था। इस समय यह स्कीम नौ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के 83 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस कार्यक्रम का विस्तार करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को शामिल किया जा रहा है। 11वीं योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 210.00 करोड़ रूपए है। वित्त वर्ष 2008-09 के लिए बजट आबंटन 38.00 करोड़ रूपए है।

4. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली : राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त निकाय है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सरकार द्वारा 1956 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बाल भवन 5-16 वर्ष की आयु समूह के बच्चों विशेषकर सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए योगदान करता रहा है। बच्चे आनन्ददायक रूप से शारीरिक शिक्षा, सृजनात्मक कला, विज्ञान शिक्षा, साक्षरता कार्यकलाप, मंचीय कला, फोटोग्राफी, गृह प्रबंधन, प्रकाशन, संग्रहालय तकनीक इत्यादि जैसे कार्यकलाप करते हैं। इसके कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं कि इनसे बच्चों की प्रतिभा और संभावित क्षमता का पता लगाया जाए और उन्हें स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं। इस प्रकार राष्ट्रीय बाल भवन का उद्देश्य स्वतंत्र और आनन्ददायक वातावरण में बच्चों का चहुंमुखी विकास करना और वैज्ञानिक अभिरूचि विकसित करने में उनकी सहायता करना है।

5. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम : इस स्कीम में प्राथमिक शिक्षा के विकास के संबंध में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है और इसमें प्रारम्भिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने की कार्यनीतियों को लागू करने की व्यवस्था की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम परियोजनाओं के क्रमिक समापन के कारण यह स्कीम अब केवल 2 राज्यों के 17 जिलों में चलायी जा रही है। तथापि, यह परियोजना राजस्थान में 31.03.2008 से समाप्त हो जाएगी जबकि उड़ीसा में यह परियोजना 30.11.2008 (2008-09) तक जारी रहेगी। इस समय लगभग 1557 नए प्राथमिक विद्यालय भवन निर्मित किए गए हैं, नए विद्यालय भवनों में 4908 प्रसाधन-कक्षों 3756 पेयजल सुविधाएं, 4345 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, 58606 नए शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है और 6645 मरम्मत कार्य किए गए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को बाह्य सहायता के रूप में विश्वबैंक, डी एफ आई डी तथा यूनीसेफ से निधियां प्राप्त होती हैं जो भारत सरकार को 85% संसाधन उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम के तहत है। राज्य की हिस्सेदारी 15% है।

6. स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम : प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम बच्चों के नामांकन, उन्हें स्कूलों में बनाए रखने तथा उनकी उपस्थिति में वृद्धि करने तथा साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से 15 अगस्त, 1995 को प्रारंभ में देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया था। धीरे-धीरे इसका विस्तार किया गया तथा देश के सभी ब्लॉकों में प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को शामिल किया गया। अक्तूबर, 2007 में स्कीम को और संशोधित किया गया तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में अपर प्राथमिक स्तर (कक्षा I/I से I/III तक) के बच्चों को शामिल किया गया। वर्ष 2008-09 से कार्यक्रम को देश के सभी क्षेत्रों में अपर प्राथमिक स्तर (कक्षा I से VIII) तक के सभी बच्चों हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

7. सर्व शिक्षा अभियान : सर्वशिक्षा अभियान राज्यों/संघशासित प्रदेशों की सहभागिता से भारत सरकार द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम है तथा यह देश में सर्व सुलभ शिक्षा परियोजना को शुरू करने तक सीमित है। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने में वृद्धि करने तथा गुणवत्ता सुधार हेतु इसे देश के सभी जिलों में शुरू किया गया था। 10वीं योजना के दौरान केन्द्र तथा राज्यों के बीच खर्च की हिस्सेदारी 75:25 थी (पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान राज्यों के 15 प्रतिशत हिस्से का वहन पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय द्वारा किया गया था)। 11वीं योजना अवधि के लिए निधियन पैटर्न को संशोधित किया गया है जो कि योजना के पहले दो वर्षों के लिए 65:35, तीसरे वर्ष के लिए 60:40 तथा चौथे वर्ष के लिए 55:45 और उसके बाद के लिए 50:50 होगा। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में कार्यक्रम के अंतर्गत निधियन पैटर्न 90:10 होगा जिसमें केन्द्र के हिस्से के संसाधन सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में से पूर्वोत्तर राज्यों हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत निधियों में से उपलब्ध कराए जाएंगे।

शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में महिला-पुरूष समानता को प्रोत्साहित करने हेतु बालिकाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए दो अतिरिक्त घटक इस प्रकार हैं : (i) प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम; तथा (ii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कि एक अलग स्कीम थी, को वर्ष 2007-08 से सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया है।

8. प्रारम्भिक शिक्षा कोष : ''वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के द्वारा सभी बड़े केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर लगाकर दिनांक 14.11.2005 से प्रारम्भिक शिक्षा कोष की स्थापना शिक्षा उपकर प्राप्त करके अव्ययगमनीय निधि के रूप में की गई थी। शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में प्रारम्भिक शिक्षा कोष में प्रारम्भिक अन्तरण के लिए वर्ष 2006-07 के केन्द्रीय बजट में 8746 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। प्रत्येक वर्ष सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन स्कीमों के लिए सकल बजटीय सहायता के रूप में प्रदान की गई निधियों के समाप्त होने के बाद इन स्कीमों के बाद के व्यय को प्रारम्भिक शिक्षा कोष से पूरा किया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से प्रारम्भिक शिक्षा को संचालित करने सम्बन्धी लेखा पद्धतियों/प्रक्रियाओं की सहमति प्राप्त कर ली गई है। प्रारम्भिक शिक्षा कोष बनाने के सम्बन्ध में दिनांक 30 अगस्त,2006 की अधिसूचना/संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।" वर्ष 2008-09 के लिए कुल उपकर आबंटन 12817 करोड़ रूपए है।

11. सरकारी/स्थानीय निकाय के स्कूलों में एक वर्ष अवधि की प्राथमिक पूर्व कक्षा हेतु सहायता :

सरकारी/स्थानीय निकाय के स्कूलों में एक वर्ष अवधि की प्राथमिक पूर्व कक्षाएं शुरू करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने की एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार करने का प्रस्ताव है।

12. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद :

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम ग्ग्प्) अधिनियम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को अपनी नीतियों और मुख्य कार्यक्रमों जिनमें शिक्षा विशेषकर विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता मूलक सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को अंतिम रूप देना भी शामिल है, को बनाने और कार्यान्वित करने में सहायता और परामर्श देने के लिए की गई थी। वर्ष 2006-07 से राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालयों में पर्यावरण प्रबंधन, विद्यालयों में योग शुरू करना और अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड

घटकों की विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार स्कीम को कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अंतरित कर दिया गया है।

13. केन्द्रीय विद्यालय संगठनः केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना पंजीकृत निकाय के रूप में 1965 में की गई थी जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्तपोषित है ताकि केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जा सके। केन्द्रीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य स्थानांतरणीय केन्द्र सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस समय विभिन्न स्थानों पर 972 केन्द्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

14. नवोदय विद्यालय समितिः गति निर्धारक आवासीय स्कूलों की स्थापना पर जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के उत्कृष्ट बच्चों को गुणवत्ता मूलक शिक्षा दी जा सकें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति -1986 (1992 में यथा- संशोधित) के अनुसरण में भारत सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1986 में केन्द्रीय स्कीम आरंभ की थी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 1986 में स्थापित स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस समय कुल 550 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

15. विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (विद्यालय में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी): स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन तथा शैक्षिकी प्रौद्योगिकी की मौजूदा स्कीमों को मिलाकर शुरू किया गया था और इसे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए लागू किया गया था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी स्कीम के तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शेष 25 प्रतिशत निधियों का अंशदान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र करते हैं। इस स्कीम में राज्य सरकार के अंशदान के अतिरिक्त अथवा इसके विकल्प के रूप में एम.पी.एल.ए.डी. स्कीम से भी 25 प्रतिशत अंशदान की व्यवस्था की गई है। विशेष श्रेणी के राज्यों को 90:10 के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

16. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा : विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1974 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है ताकि सामान्य विद्यालय पद्धति में उन्हें शामिल करने और अन्ततः इसमें उन्हें बनाए रखने को सुविधाजनक बनाया जा सकें। यह स्कीम राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के शिक्षा विभागों तथा इस स्कीम के गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके घटकों में शैक्षिक सहायता, सहायक उपस्कर, विशेष शिक्षक के वेतन तथा विकलांग बच्चों के लिए सुविधाएं शामिल है। इस स्कीम के तहत केवल माध्यमिक स्तर को शामिल करने के प्रयोजनार्थ इसमें संशोधन किया जा रहा है।

17. राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान : राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन संस्थान जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहा जाता था, की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अपने शैक्षिक, जीवन संवर्धन तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रमों के जरिए प्राथमिक से प्री-डिग्री स्तर तक दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना है। यह औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में स्कूल स्तर पर मुक्त अध्ययन प्रणाली के जरिए शिक्षा प्रदान करता है।

19. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन : केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन की स्थापना 1961 में स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इधर-उधर रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के 79 विद्यालय हैं।

20. शिक्षा का व्यावसायीकरण : जैसी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में परिकल्पना की गई है कि माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की व्यवस्था शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण के लिए की गई है ताकि अलग-अलग व्यक्तियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके, उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करने के लिए कुशल जनशक्ति के मध्य मांग और आपूर्ति के अन्तर को कम किया जा सकें। इस स्कीम के तहत कृषि, बिजनेस और वाणिज्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य और पैरा-मेडिकल, समाज विज्ञान, मानविकी इत्यादि के क्षेत्रों में 32 स्तर पर रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

21. माध्यमिक स्तर पर सर्वसुलभ पहुँच और गुणवत्ता की योजना : उच्च प्राथमिक स्तर पास करने वाले छात्रों की संख्या में भारी वृद्धि करने वाले सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के एक अनुवर्तन के रूप में यह आवश्यक महसूस किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच की माँग में वृद्धि का सामना किया जाए। तदनुसार 11वीं योजना के दौरान माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वसुलभीकरण एवं गुणवत्ता सुधार नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। यह योजना तैयार की जा रही है।

22. माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय स्कीमः वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अध्ययन कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है।

24. राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजनाः 2007-08 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में भारतीय स्टेट बैंक के साथ निधि सृजन करने के लिए एक योजना का निर्माण किया गया है। इसकी प्राप्ति का उपयोग कक्षा IX से XII में पढ़ने वाले छात्रों को 1,00,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने में किया जाएगा। योजना को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

25. नए आदर्श विद्यालयः इसके साथ-साथ 15 अगस्त, 2007 को प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में 6000 नए उच्च गुणवत्ता विद्यालयों देश में प्रत्येक ब्लाक में एक-की स्थापना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुपालन में, एक नई योजना निर्माणाधीन है।

26. 2000 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के आवासीय छात्रावासों/छात्राओं के लिए छात्रावासों को स्तरोन्नत करना : माध्यमिक स्तर की छात्राओं के लिए छात्रावासों की सुविधाएं सृजित करने हेतु एक नई योजना तैयार की जा रही है। प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक जिले (कुल लगभग 3500 जिले) में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाएगा। ये छात्रावास जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्थित होंगे और इन्हें इनकी व्यवहार्यता के आधार पर आवासीय माध्यमिक विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत किया जाएगा।

27. **कक्षा IX से XII तक अध्ययन के लिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्तिः** योजना का उद्देश्य पढ़ाई छोड़ने के अनुपात को नियंत्रित करना और कक्षा के बाद शिक्षा जारी रखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना। कक्षा IX, X, XI, और XII में अध्ययन करने के लिए 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का भुगतान करने और चार वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 100,000 छात्रवृत्ति मुहैया करने की परिकल्पना इस योजना में की गई है । योजना के तहत 750 करोड़ रुपए की संचित निधि के सृजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास रखी जाएगी इस निधि से प्राप्त आय का उपयोग छात्रवृत्ति के निधियन के लिए किया जाएगा।

28. अन्य कार्यक्रमः इनमें (क) संयुक्त भारत-मंगोलिया विद्यालय, ऊलान बातार के लिए सहायता और (ख) शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था शामिल है।

29. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजनाः साक्षरता अभियान और आपरेशन रेस्टोरेशन तथा नव-साक्षरों के लिए सतत शिक्षा की मौजूदा योजनाओं को मिला दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास कार्यक्रम की नई योजना मौजूदा दोनों योजनाओं को शामिल करेगी जिसके लिए 354 करोड़ रू. का परिव्यय होगा जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र का आवंटन शामिल है। वर्तमान में, संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम क्रमशः 95 और 174 जिलों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, सतत शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में देश के 328 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारें इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपना अंशदान निधियन के अनुमोदित पैटर्न के अनुसार करेंगी।

30. प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता : नई स्कीम में प्रौढ़ शिक्षा हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता तथा जन शिक्षण संस्थान की वर्तमान योजनाओं को मिलाते हुए 70 करोड़ रू. (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटन सहित) का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 15-35 वर्ष आयु-वर्ग के प्रौढ़ नव-साक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रबंधित राज्य संसाधन केंद्रों को इस योजना के तहत सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में भारत सरकार से 26 राज्य संसाधन केंद्रों को सहायता प्राप्त हो रही है।

सं.57 / प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

जन शिक्षण संस्थान, जो अपने लाभग्राहियों के व्यावसायिक कौशलों तथा जीवन स्तर में सुधार करते हुए बहुआयामी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, की साप्तिपना के लिए गैर सरकारी संगठनों को भी सहायता प्रदान की जाएगी। यह शहरी/ग्रामीण जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक रूप् से पिछड़े और शैक्षिक रूप् से वंचित वर्गों, जैसे नव-साक्षरों, अर्द्ध-साक्षरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और बालिकाओं, मलिन बस्तियों में रहने वालों, प्रवासी श्रमिकों आदि, पर ध्यान देता है। बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले जन शिक्षण संस्थानों में से कुछ के कार्यकलापों को पड़ौसी जिलों तक विस्तृत किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार जन शिक्षण संस्थानों की साप्तिपनार्थ शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक देश में 221 जन शिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

31. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय : प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है। यह निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में गठित किया गया था जिसका उद्देश्य देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू करने वाली विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को शैक्षिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना था। केन्द्र सरकार प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का पूर्णतः वित्त पोषण करती है।

32. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरणः राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1988 में प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग की स्वायत्त और स्वतंत्र विंग के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमां को कार्यान्वित करने के लिए की गई थी।

33. 35+ आयु वर्ग के लिए साक्षरता कार्यक्रम : वर्तमान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 15-35 वर्ष की आयु वर्ग वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 35+ आयु वर्ग के लोगों के लिए एक नया साक्षरता कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है।